A4/11

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 11/2019

जीसीएमएस नम्बर : 2019/00026

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. सोहन पुत्र गोविन्द जाति माली, निवासी वरकाणा, तहसील रानी जिला पाली		1. हीरी पत्नी भावाजी के कायम मुकाम 1/1 पुनाराम पुत्र भावाजी 1/2 जोगाराम पुत्र भावाजी जातिगण देवासी निवासीगण वरकाणा तहसील रानी जिला पाली 2. सरपंच, ग्राम पंचायत वरकाणा, तहसील रानी जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 11.6.2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत वरकाणा द्वारा मिसल संख्या 16/2006–07 संकल्प संख्या 04 दिनांक 12.01.2007 की पालना में अप्रार्थीया हीरी पत्नी भावाजी देवासी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 16 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत में रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त। अप्रार्थीगण 1/1 व 1/2 नोटिस तामिली के उपरान्त भी वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 वक्त बहस अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी के पक्ष में जारी जैर निगरानी पट्टे के पडौस पूर्व दिशा में आम रास्ता, पश्चिम दिशा में आवासीय प्लॉट उत्तर दिशा में कन्यादेवी का प्लॉट तथा दक्षिण दिशा में रास्ता व दरवाजा है, जिसका क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट है। ग्राम पंचायत ने जिस भूमि का विक्रय विलेख जारी किया है वह भूमि गोचर व रास्ते की भूमि है। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने अवैध व कूटरचित तरीके से जैर निगरानी पट्टे जारी किये है। जिस सम्बन्ध में तहसीलदार रानी ने भी सम्बन्धित सरकारी भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किये। साथ ही विकास अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 15.01.2019 में सरकारी भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण को रोकने हेतु अंकित किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार भी जैर निगरानी पट्टा भी रास्ते व गोचर की एकमात्र भूमि है। अप्रार्थी ने जैर निगरानी पट्टे की आड में रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करने में आमदा है। अतः ग्राम पंचातय द्वारा पंचायतीराज नियमों के विरूद्ध जारी जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर, पाली

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत वरकाणा द्वारा मिसल संख्या 16/2006–07 संकल्प संख्या 04 दिनांक 12.01.2007 की पालना में अप्रार्थीया हीरी पत्नी भावाजी देवासी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 16 के विरूद्ध पेश की है।

ग्राम पंचायत वरकाणा पट्टा बुक संख्या 50 में से जारी पट्टो के सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली के पत्रांक 05.06.2012 की पालना में गठित कमेठी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। "जिसमें क्रम संख्या 16 पर अप्रार्थीया हिरी पत्नी भावाजी देवासी के पक्ष में जारी जैर निगरानी पट्टे का अंकन किया गया है तथा यह भी अंकित है कि उक्त पट्टा बुक से जारी पट्टा संख्या 1 से 50 तक की मिसले ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है, न ही बैठक कार्यवाही रजिस्टर एवं मिसल दायर तथा पट्टा वितरण रजिस्टर उपलब्ध है। ग्राम पंचायत के द्वारा जो पट्टे वार्डपंच व सरपंच के परिवार के सदस्यों के नाम जारी किये है, नियमानुसार नहीं है। इस प्रकार सरपंच व ग्राम सेवक ने पद का दुरूपयोग कर आबादी से बाहर अन्यत्र किस्म की भूमि में पट्टे जारी किये है। अतः उक्त समस्त पट्टे निरस्त योग्य है।" जांच रिपोर्ट के विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में दी गई प्रक्रिया की अक्षरशः पालना नही कर अप्रार्थीया को नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है, जो विधि सम्मत नही होने से खारिज योग्य है।

जिला परिषद, पाली के पत्र दिनांक 17.04.2013 के द्वारा ग्राम पंचायत वरकाणा के पूर्व सरपंच कार्यकाल की जांच के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट के "पैरा नम्बर 1 में 50 पट्टो के लिये सरपंच व ग्रुप सचिव को पद का दुरूपयोग का प्रथम दृष्टया मामला बनने का निष्कर्ष दिया गया। सम्पूर्ण जाचं रिपोर्ट के अनुसार पूर्व सरपंच, सम्बन्धित ग्रुप सचिव व अन्य अवैध लाभार्थियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण बनना पाया जाता है।" साथ ही तहसीलदार रानी के पत्रांक दिनांक 18.01.2019 के अनुसार भी ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे ग्राम की गोचर भूमि पर जारी किये गये है। लिहाजा यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टा विधिविरूद्ध, अनैतिक तरीके से जारी किया गया है जो खारिज योग्य है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत वरकाणा द्वारा मिसल संख्या 16/2006–07 संकल्प संख्या 04 दिनांक 12.01.2007 की पालना में अप्रार्थीया हीरी पत्नी भावाजी देवासी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 16 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के ग्राम पंचायत को पालनार्थ भिजवायी जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 11/6/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली